28/10/24 अधिवक्ता वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी सं. 01 की तलबी हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात वादी अधिवक्ता के प्रतिवादी की तलबी आदेशिका तक नहीं करवायी है। वादी अधिवक्ता आदेशिका की तलबी अत्यावश्यक अतिरिक्त 01 की तलबी अत्यावश्यक रूप से करवाने अन्यथा अंतिम अवसर सीपीसी के तहत कार्यवाही अग्रसर की जायेगी। पक्षकारों वास्ते तलबी हेतु दिनांक 05.12.24 को पेश हो।

5/12/24 आज पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/12/24 को पेश हो।

17.12.24 अधिवक्ता वादी एवं वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी सं. 01 की तलबी हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाकर दिनांक 28.10.24 को आदेश 9 नियम 6 व 7 के तहत कार्यवाही करने की हिदायत दी गई थी परन्तु वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं. 01 की तलबी आदेशिका तथा तरफदारी की। अधिवक्ता द्वारा तलबी नहीं करवाने पर प्रकरण में आदेश 9 नियम 6 व 7 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण खारिज किया जाता, अन्यथा विरोध [illegible] के अभाव में [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती हो। पक्षकारों को [illegible] के क्रम से नकल भी लेकर मिसल में शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:08:35 IST
Reason: SelfAttested